137

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 138—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—05—2005 के द्वारा अपर आयक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 84/1997—98/निगरानी

.....

तेजबहादुर सिंह पुत्र श्री शिवनारायण सिंह
निवासी—ग्राम आलमपुर, तहसील— लहार,
जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— दयाराम (मृत) वारिसानः—

अ— श्रीमती रामश्री देवी बेवा स्व. दयाराम

ब— उमाशंकर पुत्र स्व. दयाराम
निवासीगण— ग्राम आलमपुर,
तहसील— लहार, जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

2— बृज बिहारी पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी—ग्राम आलमपुर, तहसील— लहार,
जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

3— म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड (म0प्र0) .....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 के वारिस क्र0 2
अनावेदक —3 की ओर से शासन के अभिभाषक

.....

आदेश

(आज दिनांक 16.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आलमपुर तहसील लहार में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 492 व 474 में भाग 1/2 का अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक है। सर्वे क्रमांक में पंचमसिंह निवासी आलमपुर भूमिस्वामी है। सर्वे क्रमांक 470 शासकीय रास्ता है। अनावेदक लक्ष्मीनारायण ने कलेक्टर, जिला–भिण्ड के समक्ष संहिता की धारा 71 एवं 78 व सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि के संबंध में नक्शा टेसिंग में विवाद हो जाने के कारण सशोंधन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/1994–95/बी–121 पर दर्ज किया गया एवं पारित आदेश दिनांक 27.01.97 द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से जांच कर जांच प्रतिवेदन मांगाया जाकर प्रतिवेदन दिनांक 31.03.94 के आधार पर नक्शा संशोधन किया जाकर सुधार करने के लिये प्रकरण को अधीक्षक भू–अभिलेख को भेजा गया। कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.97 से दुखी होकर आवेदक ने न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 84/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.05.2005 द्वारा अपील बिना किसी ठोस आधार के निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा आवेदक अथवा उसके पूर्व हितधारियों पंचमसिंह आदि हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना केवल म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर आवेदक भूमिस्वामी के भूमिस्वामी स्वतव की भूमि खसरा क्रमांक 494 की सीमाओं कानक्शा तरमीम किया जाना चाहा गया है। ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार बनाये बिना आवेदन ही ग्राह्य नहीं था । ऐसे में अगाह्य आवेदन पर कलेक्टर भिण्ड द्वरा पारित आदेश अधिकारिता रहित था, जिसे स्थिर रखने में प्रथम अपीलीय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है । सन् 1974 में चकबन्दी हुई थी जो चक्बन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.74 को पुष्टिकृत की गई थी। इस कार्यवाही में पारित आदेश तैया किये गये चक्कों एवं नक्शा को किसी ने कभी कोई चुनौती नहीं दी गई । चक्बन्दी अधिकारी के आदेश या चकबन्दी में तैयार नक्शें को बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष ही आक्षेपित किया जा सकता था

यथा नहीं । कलेक्टर को किसी व्यक्ति विशेष के आवेदन पन नक्शा तरमीम किये जाने की अधिकारिता नहीं थी। तथाकथित सहायक अधीक्षक भूमि–अभिलेख का एकपक्षीय व प्रतिवेदन जब तक कि साक्ष्य से साबित न किया जाये। साक्ष्य ग्राह्य नहीं था। ऐसे में अग्राह्य प्रतिवेदन पर पारित आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते है। जांच के समय आवेदक उपस्थित भी हुआ हो तब भी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विचारण नयायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। यद्यपि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा भी आवेदक को सूचना नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने संक्षिप्त में तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि अनावेदक–2 को भूमि विक्रय करने का अधिकार था । उसने अनावेदक–1 को रजिर्स्टड विक्रय पत्र से भूमि बेची है । इसलिये तहसीलदार अनावेदक–1 का नमांतरण करने कोई गलती नहीं की थी। उनका कहना है कि प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, इसलिये निगरानी निरस्त की जाये।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अनावेदक लक्ष्मीनारयण द्वारा संहिता की धारा 71 एवं 78 तथा सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर नक्शें में हुई गलती को संशोधन करने की मांग की गई। कलेक्टर भिण्ड द्वारा सहायक अधीक्षक–भूमिलेख भिण्ड से वस्तुस्थिति की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन चाह गया । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड ने जांच कराकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया। सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड ने प्रतिवेदन दिनांक 31.03.94 को कलेक्टर भिण्ड को पेश किया । उक्त प्रतिवेदन में त्रुटिपूर्ण रेखांकन किसी भूल का परिचायक थी। संशोधन में रेखा में सुधार किया जाकर दूसरा नक्शा प्रतिवेदन के साथ लगाय गया । इस प्रकार जो आपत्ति आवेदकगण को थी उसे दूर किया गया । ऐसी स्थिति में कलेक्टर भिण्ड द्वारा कोई गलती नहीं की गई । आवेदक द्वारा प्रस्तु आवेदन पत्र के आधार पर ही कार्यवाही पूर्ण कराई गई है । अपील मेंमों में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता कि आवेदक के साथ कोई ज्यादती हुई है । मात्र इतना लिख देना कि सुना नहीं गया। गलत है जिस समय सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड द्वारा जांच की जा रही थी, निश्चित रूप से यह तथ्य आवेदक की जानकारी में होगा । इस तथ्य को अपील में छुपाया गया है । इसी आधार पर अपर आयुक्त

चम्बल संभाग मुरैना द्वारा अपने विस्तृत आदेश में विवेचना करते हुये कलेक्टर भिण्ड के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है। मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ अतः ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है । अपर आयुक्त अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 30.05.2005 विधिसंगत होने से यथावत जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो, प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर